गृह मंत्रालय

मांग संख्या 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	44696.13	...	44696.13	35581.44	...	35581.44	41751.44	...	41751.44	42277.74	...	42277.74
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**44696.13**	**...**	**44696.13**	**35581.44**	**...**	**35581.44**	**41751.44**	**...**	**41751.44**	**42277.74**	**...**	**42277.74**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00
2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता	43132.52	...	43132.52	33923.00	...	33923.00	40093.00	...	40093.00	40619.30	...	40619.30
3. 624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान	32.50	...	32.50	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00
4. रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान	119.11	...	119.11	476.44	...	476.44	476.44	...	476.44	476.44	...	476.44
5. जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान	1008.00	...	1008.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
6. संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता	125.00	...	125.00	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77
7. 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान	...	...	...	171.23	...	171.23	171.23	...	171.23	171.23	...	171.23
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**44696.13**	**...**	**44696.13**	**35581.44**	**...**	**35581.44**	**41751.44**	**...**	**41751.44**	**42277.74**	**...**	**42277.74**
कुल जोड़	***44696.13***	***...***	***44696.13***	***35581.44***	***...***	***35581.44***	***41751.44***	***...***	***41751.44***	***42277.74***	***...***	***42277.74***
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	44696.13	...	44696.13	35581.44	...	35581.44	41751.44	...	41751.44	42277.74	...	42277.74
जोड़-अन्य	**44696.13**	**...**	**44696.13**	**35581.44**	**...**	**35581.44**	**41751.44**	**...**	**41751.44**	**42277.74**	**...**	**42277.74**
कुल जोड़	**44696.13**	**...**	**44696.13**	**35581.44**	**...**	**35581.44**	**41751.44**	**...**	**41751.44**	**42277.74**	**...**	**42277.74**

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान:** यह प्रावधान प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के उपशमन के मद्देनज़र व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र की संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए है और इस प्रावधान में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में संस्वीकृत 7900.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जिसकी संसद

द्वारा अनुदान की मांगों 2024-25 के पारित होने और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनियोजन अधिनियम को अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. **624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान किरू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण हेतु इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए है।

4. **रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान:** यह प्रावधान 800 मेगावाट रेटल जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए है।

5. **जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान:** यह प्रावधान झेलम तवी बाढ पुनरुद्धार परियोजना (जेटीएफआरपी) के कारण होने वाले व्यय काे पूरा करने के लिए है।

6. **संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** यह प्रावधान अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन संबंधी कमी के वित्तपोषण की पूर्ति हेतु है।

7. **540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए है।